

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	शिकोहाबाद-मैनपुरी (एस0 एच084) किमी0 13-14 के मध्य
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ii)	जिला	फिरोजाबाद
(iii)	वन प्रभाग	समाजिक वानिकी प्रमाण फिरोजाबाद
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.0772 हेक्टेयर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वनभूमि
(vi)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0-4 मीटर भी संलग्न किये जायें।	संलग्न है।
(vii)	हरियाली का घनत्व	0.01 से कम
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	समतल भूमि होने के कारण नगण्य हैं।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित क्षेत्र की वन सीमा	संरक्षित वन भूमि
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, अभ्यारण्य, जैवमण्डल, रिजर्व, बाद्य रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जायें)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिगत की दुर्लभ/संकटापन/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 से प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्प के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	अपरिहार्य और न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	संलग्न है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	-
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न है।

(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनत्तर क्षेत्र की उपर्युक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकाकेण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
11	थजला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम-7 (xi, xii) 8 से 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें।	संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	फिरोजाबाद
(i)	जिला का भौगोलिक क्षेत्र	2759 वर्गकिमी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	8037 हे०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र	09
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	260 हे०, 43038 पौधे
(क)	दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि	—
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	—
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	—
(क)	वनभूमि पर	260 हे०, 43038 पौधे
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	—
13	प्रस्तावित को स्वीकृत करने अथवा को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	जनहित को देखते प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य है।

दिनांक 07-07-2014

हस्ताक्षर

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
फिरोजाबाद